न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

(1) प्रकरण संख्या: 15/2019
(2) दायरा दिनांक: 13.8.2019

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

कृष्ण मोहन पुत्र श्री हरदयनारायण चौरसिया, जाति- ब्राह्मण, निवासी- आदर्श पाटन, पुलिस थाना जमालपुर मुंगेर, बिहार, हाल- नयाखेडा, सांतपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना रिको आबूरोड, जिला- सिरोही

''इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975''

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे

-: निर्णय :- दिनांक 11 सितम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल कृष्ण मोहन पुत्र श्री हरदयनारायण चौरसिया, जाति- ब्राह्मण, निवासी- आदर्श पाटन, पुलिस थाना जमालपुर मुंगेर, बिहार, हाल- नयाखेडा, सांतपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना रिको आबूरोड, जिला- सिरोही के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश एवं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है जो शराब का अवैध कारोबार कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नही लग पाई है। गैरसायल के अवैध शराब के कारोबार से आम लोगों, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय-समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नही होता है। गैरसायल के पूर्व में मुखबीर ईत्तला पर अवैध शराब परिवहन करता पाये जाने पर पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 16/54 व 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 9 प्रकरण दर्ज हुये एवं इन 9 प्रकरणों में गैरसालय के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें से संबंधित न्यायालय द्वारा 4 प्रकरणों में गैरसायलय को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है एवं 5 प्रकरण न्यायालय में पेण्डिग ट्रायल है, उसके बावजूद भी गैरसायल अवैध शराब के कारोबार करने से बाज नही आ रहा है। गैरसायल के ऐसे कार्यकलापों से लोक व्यवस्था, जवानों एवं बच्चों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है एवं गैरसायल से आम जन में भय व्याप्त है व गैरसायल के भय से लोग पुलिस को सूचना देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 11.9.2019 को गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये। गैरसायल ने इस न्यायालय में जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा जुर्म/आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासें में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 व 19/54 के तहत पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में 9 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिसमें से चार प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का बदमाश है एवं अवैध शराब विक्रय करने के कारोबार में लिप्त है। गैरसायल द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने से आमजन व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते है, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है व गैरसायल की छोटी सी चाय की होटल है, जिससे गैरसायल अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल के विरुद्ध गत दो वर्षो में किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने उक्त चारों प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने, मारपीट करने, लोगों को धमकाने आदि कोई मुकदमें दर्ज नही हुये है, केवल गैरसायल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत ही उक्त मुकदमे ही दर्ज हुये है, गैरसायल के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के नही है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल भविष्य में कोई अपराध नही करेगा, इसलिये गैरसालय के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल कृष्ण मोहन पुत्र श्री हरदयनारायण चौरसिया, जाति- ब्राह्मण, निवासी- आदर्श पाटन, पुलिस थाना जमालपुर मुंगेर, बिहार, हाल- नयाखेडा, सांतपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना रिको आबूरोड, जिला- सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 16/54 व 19/54 के तहत अपराध संख्या 109/19.6.2008, 176/03.10.2008, 179/03.9.2009, 84/16.4.2012, 134/07.6.2014, 210/16.8.2014, 305/11.10.2015, 245/02.9.2017 व 279/27.9.2017 को दर्ज हुये जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रतियां व उक्त मुकदमों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल को उक्त अपराध संख्या 176/03.10.2008, 84/16.4.2012, 134/07.6.2014 व 305/11.10.2015 में संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है, जिसमें उक्त अपराध संख्या 176/03.10.2008 व 305/11.10. 2015 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 27.7.2011 व 29.8.2018 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 27.9.2017 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को रुप से स्वीकार करते हुऐ गैरसायल कृष्ण मोहन पुत्र श्री हरदयनारायण चौरसिया, जाति- ब्राह्मण, निवासी- आदर्श पाटन, पुलिस थाना जमालपुर मुंगेर, बिहार, हाल- नयाखेडा, सांतपुर, आबूरोड़, पुलिस थाना रिको आबूरोड, जिला- सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन (एक माह) की अवधि के लिये उपखण्ड क्षेत्र, आबूरोड़ से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड क्षेत्र आबूरोड़ की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, रिको आबूरोड़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)